(6)

राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा
प्रकरण क्रमांक R.1150-तीन/14

प्रहलाद प्रसाद मिश्रा तनय श्री श्रवण कुमार मिश्र, उम्र 25 वर्ष, साकिन– बरा–पैपखार, तहसील–हुजूर, जिला–रीवा (म0प्र0)

———–पुनरीक्षणकर्ता

बनाम्

चन्द्रमणि प्रसाद मिश्रा पिता स्व. सनत कुमार, साकिन– लभौली, तहसील–सिरमौर, जिला–रीवा (म0प्र0)

———–अनावेदक

श्री सुरेश कुमार मिश्रा एड. द्वारा आज दिनांक 26.3.14 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

पुनरीक्षण आवेदन विरूद्ध आदेश तहसीलदार, तहसील–सिरमौर के उन्मान प्रकरण चन्द्रमणि प्रसाद बनाम् प्रहलाद प्रसाद प्र.क्र. 16ए–6ए/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 26.02.2014.

पुनरीक्षण आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा–50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ई.

R- 1150-तीन/14

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
07.04.2014 7.4.14	यह निगरानी तहसीलदार सिरमौर जिला रीवा व्दारा प.क. 16 / अ–6 अ/12–13 में पारित अंतरिम आदेश दि. 26–2–14 के विरूद्व म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क श्रवण किये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार सिरमौर के न्यायालय में उभय पक्ष के बीच भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि पर लिपिकीय त्रृटि दुरूस्ती का विवाद प्रचलित है जिसमें आवेदक की ओर से संहिता की धारा 178 (ए) का आवेदन देकर वादग्रस्त भूमि के संबंध में व्यवहार वाद चलने के कारण कार्यवाही रोके जाने की आपत्ति की गई, जिस पर तहसीलदार व्दारा अंतरिम आदेश दिनांक 26–2–14 से निर्णय लिया है कि उक्त आवेदन का निराकरण अंतिम निराकरण के दौरान किया जावेगा। 3/ संहिता की धारा 178 के अंतर्गत भूमि के बटवारे वावत् कार्यवाही होती है जबकि तहसीलदार के समक्ष मामला भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि के भू अभिलेख में लिपिकीय त्रृटि सुधार का है। आवेदक ने व्यवहार न्यायालय से स्थगन आदि प्राप्त कर भी प्रस्तुत नहीं किया है। वैसे भी मान.व्यवहार न्यायालय से जो आदेश होंगे, राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है और आवेदक व्दारा प्रस्तुत आवेदन पर तहसीलदार ने किसी प्रकार का निर्णय भी नहीं लिया है अपितु प्रकरण सुनवाई हेतु आगे की तिथियों में लगाया है, जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में आवेदक को किसी प्रकार का अनुतोष दिया जाना संभव नहीं है। अतः निगरानी सारहीन पाये जाने से अमान्य की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें। (हस्ताक्षर) सदस्य	